

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भोलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 118 /19

उनवान

- 1- गोपाल पिता प्यारा तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- नंदा पिता प्यारा तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- शंकर पिता प्यारा तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- सोहन पिता प्यारा तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

अलौली पत्नी देवकरण तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा

- विपक्षी

उपस्थिति :- श्री आशीष पालीवाल
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 07/09/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम रामपुरा(लुलास) तहसील शाहपुरा जिला भोलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 621 रकबा 1.19 है0 कुल किता 1 रकबा 1.19 हैक्टयेर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरा(लुलास) संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा(लुलास) में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 1.19 हैक्टयेर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भोलवाड़ा

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भोलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा जिला भोलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भोलवाड़ा) राज.